दिनांक 10.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 16/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एएनटीएफ यूनिट आगरा व एएनटीएफ थाना सहारनपुर के प्रकरण में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों की रूपये 2,80,00,000/- (02 करोड़ 80 लाख रूपये) की चल-अचल सम्पत्ति को किया गया फ्रीज

श्री योगी आदित्यनाथ जी, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 द्वारा नशामुक्त प्रदेश बनाये जाने के दिये गये निर्देशों के क्रम में **श्री राजीव कृष्णा,** पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा अवैध मादक पदार्थो की तस्करी में लिप्त अभियुक्तों की सम्पत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त निर्देशों के अनुपालन में **श्री अब्दुल हमीद,** पुलिस महानिरीक्षक एएनटीएफ लखनऊ के मार्गदर्शन में एएनटीएफ यूनिट आगरा व एएनटीएफ थाना सहारनपुर के प्रकरण में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों की रूपये 2,80,00,000/- (02 करोड़ 80 लाख रूपये) की चल-अचल सम्पत्ति को फ्रीज किया गया।

आरोपित का नाम व पता-

1. मुसलम खान पुत्र अब्दुल हई नि0 ग्राम डाडका थाना होडल जिला परवल, हरियाणा।
2. नौशाद पुत्र जरीफ अहमद नि0 शाहगाजीपुरा कस्बा, जलालबाद थाना भवन जनपद शामली।

न्यायालय- माननीय सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक SAFEM(FOP) A एवं एनडीपीएस, नई दिल्ली।

फ्रीज कराई गई सम्पत्ति का मूल्य-

2,80,00,000/- (02 करोड़ 80 लाख रूपये)

कार्यवाही का सक्षिप्त विवरण-

I. दि0- 01.08.2025 को मु0अ0सं0- 354/2025 धारा 8/18/29/60 एनडीपीएस एक्ट थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद के प्रकरण में बिहार से अवैध मादक पदार्थ डोडा लाकर हरियाणा में सप्लाई करने जा रहे अन्तर्राज्यीय तस्कर मुसलम खान पुत्र अब्दुल हई नि0 ग्राम डाडका थाना होडल जिला परवल, हरियाणा को एएनटीएफ, यूनिट आगरा द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मुसलम खान व वांछित अभियुक्त असलम खान पुत्र श्री अब्दुल हई नि0 दड़का होडल पलवल, हरियाणा की अवैध मादक पदार्थ से अर्जित चल-अचल सम्पत्तियों को चिन्हित कराकर 2,40,00,000/- रूपये की कुल 06 सम्पत्ति अवैधरूप से पायी गयी, जिनका विवरण-

Sl. No.	Name of owners	Description of properties	Date of acquisition/purchase	Value (in Rs.)
1.	Shri Aslam Khan, S/o Shri	Tata Truck bearing Registration No. RJ14GL2665.	11.02.2020	30,00,000/-

2.	Abdul Hai	Tata Truck bearing Registration No. RJ11GD2657.	03.04.2025	50,00,000/-
3.		Tata Truck bearing Registration No. RJ11GD2655.	03.04.2025	50,00,000/-
4.	Shri Muslam Khan, S/o Shri Abdul Hai	Tata Truck bearing Registration No. RJ11GB4590.	07.06.2024	50,00,000/-
5.		Tata Truck bearing Registration No. RJ11GD3821.	14.08.2025	50,00,000/-
6.	Shri Aslam Khan, S/o Shri Abdul Hai	Mahindra Bolero bearing Registration No. HR50K6348.	13.03.2024	10,00,000/-

उक्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में एएनटीएफ के द्वारा दि0- 07.11.2025 को फ्रीजिंग ऑर्डर ANTF-68F-03/2025 के माध्यम से माननीय सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक SAFEM(FOP)A एवं एनडीपीएस, नई दिल्ली से अनुरोध किया गया तथा एएनटीएफ की प्रबल पैरवी के उपरान्त दि0- 09.12.2025 को माननीय सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसको प्रेषित करते हुये सुनवाई के पश्चात फ्रीजिंग ऑर्डर की पुष्टि की।

II. दि0- 16.06.2025 को मु0अ0सं0- 288/2025 धारा 8/15/2/60/61 एनडीपीएस एक्ट थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद के प्रकरण में अवैध मादक पदार्थ राजस्थान व मध्य प्रदेश से डोडा मंगवाकर सस्ते दामों में बेचने के लिये ला रहे अन्तर्राज्यीय तस्कर नौशाद पुत्र जरीफ अहमद नि0 शाहगाजीपुरा कस्बा, जलालबाद थाना भवन जनपद शामली को एएनटीएफ, यूनिट आगरा द्वारा गिरफ्तार किया तथा गिरफ्तार अभियुक्त की अवैध मादक पदार्थ से अर्जित चल-अचल सम्पत्ति को चिन्हित कराकर 40,00,000/- रूपये की सम्पत्ति अवैधरूप से पायी गयी, जिनका विवरण-

Name of owners	Description of properties	Date of acquisition/purchase	Value (in Rs.)
Shri Naushad, S/o Shri Jareef Ahmed	Eicher Pro 3018 Truck bearing Registration No. UP12CT1401.	28.04.2025	40,00,000/-

उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में एएनटीएफ के द्वारा दि0- 05.11.2025 को फ्रीजिंग ऑर्डर ANTF-68F-16/2025 के माध्यम से माननीय सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक SAFEM(FOP)A एवं एनडीपीएस, नई दिल्ली से अनुरोध किया गया तथा एएनटीएफ की प्रबल पैरवी के उपरान्त दि0- 09.12.2025 को माननीय सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसको प्रेषित करते हुये सुनवाई के पश्चात फ्रीजिंग ऑर्डर की पुष्टि की।

<u>पुलिस टीम-</u>

1. श्री उमेश पवार, पुलिस उपाधीक्षक, एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट आगरा
2. प्र0नि0 हरवेन्द्र मिश्रा, एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट आगरा
3. उ0नि0 गौरव शर्मा, एएनटीएफ ऑपरेशनल यूनिट आगरा।
4. उ0नि0 नवीन कुमार, एएनटीएफ थाना सहारनपुर।

दिनांक 10.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 17/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा आयोजित साइबर जागरूकता कार्यशाला का शुभारम्भ किया।

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा आज दिनांक 10.12.2025 को नवीन सभागार यातायात लाइन, कमिश्नरेट वाराणसी में आयोजित साइबर जागरूकता कार्यशाला का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारम्भ किया गया।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा उक्त साइबर जागरूकता कार्यशाला में उपस्थित **श्री मोहित अग्रवाल** पुलिस आयुक्त वाराणसी, अन्य पुलिस अधिकारीगण, विभिन्न संगठनों के सम्मानित प्रतिनिधि, विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं, मीडिया बंधुओं एवं ऑनलाइन माध्यम से जुड़े साइबर सेल तथा थानों के पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों तथा कार्यशाला को ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी बनाने हेतु अपना अमूल्य समय प्रदान करने वाले साइबर विशेषज्ञ श्री रक्षित टंडन का आभार व्यक्त किया गया एवं कार्यशाला के माध्यम से साइबर सुरक्षा जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर जन-जागरूकता फैलाने के लिए आयोजकों का धन्यवाद किया गया।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि पिछले कुछ वर्षों में हमारी जीवनशैली में मूलभूत परिवर्तन आया है। डिजिटल भुगतान, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म अब प्रत्येक घर की आवश्यकता बन चुके हैं। भारत आज प्रति व्यक्ति डिजिटल वित्तीय लेन-देन में दुनिया में प्रथम स्थान पर है। कोविड काल के पश्चात ई-कॉमर्स के क्षेत्र में लगभग 60 से 70 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इसका मुख्य कारण है कि भारत में डेटा दुनिया में सबसे सस्ता है। साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं की सक्रियता में भी उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई है।

वर्तमान समय में अधिकांश लोग प्रत्यक्ष रूप से इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। यह हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है परन्तु इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ-साथ इसके दुरुपयोग की घटनाएँ भी अत्यधिक चिंताजनक रूप में सामने आ रही हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि जैसे-जैसे डिजिटल उपस्थिति और लेन-देन वृद्धि हुई है, साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ा है। इसीलिए आवश्यकता है कि हम इंटरनेट को केवल सुविधा नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करें। आज यदि हम सजग एवं सतर्क रहें तथा मर्यादा और नैतिकता को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट का उपयोग करें, तो यह दुनिया को बेहतर बनाने का एक सशक्त माध्यम बन सकता है।

पुलिस महानिदेशक ने साइबर वित्तीय अपराध के निम्न चार मुख्य कारण बताए—

1-लोभ (लालच) — अप्राकृतिक रिटर्न का लालच लोगों को स्कैम में फँसा देता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी संस्था या व्यक्ति जो बिना सत्यापन के अत्यधिक रिटर्न का वादा करे, वह घोटाला ही होता है।

2-लापरवाही — व्यक्तिगत जानकारी, OTP आदि को साझा करने के कारण अकाउंट खाली हो सकते हैं; साइबर अपराधी आज बहुत परिष्कृत तकनीकों का प्रयोग कर नकली संदेश एवं वेबसाइट बनाते हैं।

3-लत (सोशल मीडिया व ऑनलाइन गेमिंग) — ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया की लत के कारण मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन व सामजिक व्यवहार प्रभावित होते हैं; पुलिस महानिदेशक ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की और उदाहरण देते हुए बताया कि इसके बेहद दुखद परिणाम भी देखने को मिले है। अतः बच्चो एवं युवाओं को यह समझना होगा कि साइबर गेमिंग में हमेशा गेम बनाने वाला जीतता है न कि खेलने वाला।

4-डिजिटल भय (डिजिटल अरेस्ट की धोखाधड़ी) — कुछ अपराधी सरकारी एजेंसियों का नाटक कर ऑनलाइन धमका कर धन वसूलने का प्रयास करते हैं; उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा ऑनलाइन माध्यम से फाइन जमा कराने को नहीं कहा जाता।

पुलिस महानिदेशक द्वारा साइबर अपराध से बचाव के लिए नागरिकों को इन तीन उपायों पर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दी गयी।

- **तत्काल 1930 डायल करें-** यह देश की सबसे मजबूत साइबर हेल्पलाइन है, जिसके पीछे 654 बैंक और NBFC जुड़े हैं। जिस क्षण आप कॉल करते हैं—आपकी ट्रांजैक्शन आईडी ली जाती है, जिस अकाउंट में पैसा गया है वह तुरंत फ्रीज़ हो जाता है। उत्तर प्रदेश में जागरूकता बढ़ने से फ्रीज़िंग प्रतिशत पिछले कुछ महीनों में 17% से 24–25% तक बढ़ा है और लगभग 130 करोड़ रूपये तक की धनराशि फ्रीज़ कराई जा चुकी है।
- **गोल्डन टाइम-फ्रेम के भीतर रिपोर्ट करें-** सबसे महत्वपूर्ण बात समय का है यदि 30 मिनट से अधिक देर हुई तो पैसा दूसरी–तीसरी लेयर में चला जाता है और रिकवरी कठिन हो जाती है।
- **सही तथ्यों को दर्ज करें-** साइबर अपराध होने की दशा में तत्काल, सही, और सटीक सूचना देना आवश्यक है। एक भी अंक गलत हुआ तो पैसा गलत खाते में फ्रीज़ हो सकता है।

अन्त में पुलिस महानिदेशक ने साइबर अपराध नियंत्रण हेतु नागरिक सहभागिता के महत्व पर बल देते हुए कार्यशाला में उपस्थित सभी जनों से अपील की कि वे स्वयं जागरूक बनें एवं इस जागरूकता को समाज में भी व्यापक रूप से प्रसारित करें। उन्होंने कहा कि यदि यहाँ लगभग 500 लोग उपस्थित हैं, तो इनके माध्यम से कम कम-से-50,000 अन्य लोगों तक यह संदेश पहुँचाया जाना चाहिए। सोशल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करते हुए साइबर सुरक्षा संबंधी जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाई जाए, ताकि सामूहिक जागरूकता के माध्यम से साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।

कार्यशाला में साइबर विशेषज्ञ श्री रक्षित टंडन ने डिजिटल अरेस्टिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, डेटा चोरी और सोशल इंजीनियरिंग से बचाव की तकनीकों पर सरल एवं प्रभावी प्रशिक्षण देते हुए साइबर शिकायत प्रक्रिया, सोशल मीडिया सतर्कता, इंटरनेट सुरक्षा, पासवर्ड प्रबंधन और वित्तीय लेनदेन सुरक्षा - पर व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया। साथ ही उन्होंने प्रतिभागियों को क्रेडिटडेबिट कार्ड सुरक्षा/, साइबर बुलिंग से बचाव, महिलाओं एवं बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, संदिग्ध लिंक से बचाव, टूफैक्टर - ऑथेंटिकेशन, अनजान कॉलमैसेज पर सतर्कता तथा साइबर अपराध की तत्काल रिपोर्टिंग/ के महत्व से अवगत कराया।

मुख्यालय
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ
PREMIER

साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम

दिनांक 10.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 18/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की सहारनपुर तथा गोण्डा इकाइयों द्वारा दो अलग-अलग स्थानो पर की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्णा** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 10.12.2025 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की सहारनपुर एवं गोण्डा इकाइयों द्वारा **दो अलग-अलग स्थानो पर ट्रैप की कार्रवाई** की गयी।

1- भ्रष्टाचार निवारण संगठन सहारनपुर इकाई द्वारा श्री नरेन्द्र कुमार निवासी मो0 घोसियान सरधना जनपद मेरठ से कृषि भूमि की पैमाइश कराये जाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री साबिर अली के नेतृत्व में प्राइवेट कार्यालय भरत मिलाप चौक के पास दक्षिणी रामपुरी जनपद मुजफ्फरनगर से **चकबन्दी लेखपाल राजन कुमार (तैनाती सर्किल चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर)** पुत्र स्व0 अमलेश कुमार निवासी ग्राम हाथी करौदा थाना बाबरी जनपद शामली को **20 हजार रूपये** रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2- भ्रष्टाचार निवारण संगठन गोण्डा इकाई द्वारा श्री आशीष पाण्डेय निवासी ग्राम आदमपुर थाना जरवल रोड जनपद बहराइच से चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक श्री राज किशोर यादव के नेतृत्व में कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद गोण्डा से **वरिष्ठ सहायक शशिकान्त सिंह (तैनाती कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद गोण्डा)** पुत्र स्व0 राम नरायन सिंह निवासी ग्राम पोस्ट व थाना सहतवार जनपद बलिया को **05 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 10.12.2025
प्रेस विज्ञप्ति 19/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एस0टी0एफ0–माफिया अशरफ (मृतक) का सहयोगी एवं जनपद बरेली से 50,000/–रू0 का पुरस्कार घोषित अभियुक्त अफसार अहमद नई दिल्ली से गिरफ्तार।

दिनांक 10–12–2025 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 86/2023 धारा 147/384/506/201/120बी/195ए/34/119 भादवि व 7/8/13 पी0सी0 एक्ट धारा 42बी/54 कारागार अधिनियम व 07 सीएलए एक्ट में वांछित 50,000/–रू0 के पुरस्कार घोषित अभियुक्त अफसार अहमद को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

अफसार अहमद पुत्र आजाद अहमद निवासी सल्लाहपुर थाना पूरामुफ्ती जनपद प्रयागराज

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

सपना स्टैण्ड के सामने कालका रोड थाना अमर कालोनी जनपद साउथ ईस्ट दिल्ली,

दिनांक 10–12–2025 समय प्रातः 06:45 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों द्वारा घटनाएँ करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

प्रयागराज टीम द्वारा थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 86/2023 धारा 147/384/506/201/120बी/195ए/34/119 भादवि व 7/8/13 पी0सी0 एक्ट धारा 42बी/54 कारागार अधिनियम व 07 सीएलए एक्ट में

वांछित एवं 50,000/–रू0 के पुरस्कार घोषित अभियुक्त अफसार अहमद की गिरफ्तारी हेतु अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त अफसार अहमद दिल्ली में कहीं छिपकर रह रहा है। इस सूचना पर उ0नि0 श्री गुलजार सिंह, मुख्य आरक्षीगण प्रभन्जन पाण्डेय, अजय सिंह यादव, अनूप राय व आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय की टीम द्वारा सपना स्टैण्ड के सामने कालका रोड थाना अमर कालोनी जनपद साउथ ईस्ट दिल्ली से अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त अफसार अहमद उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि वह जनपद प्रयागराज का मूल निवासी है जो मृतक माफिया अशरफ के बरेली कारागार में निरूद्ध रहने के दौरान वह उससे मिलने जाता था तथा अपनी ही आईडी में अपने अन्य सहयोगियों अजहर, लल्लागद्दी, गुड्डू मुस्लिम, साबिर व अरमान आदि को भी साथ ले जाकर अशरफ से जेल में मुलाकात कराता था। बरेली जेल में निरूद्ध रहने के दौरान मृतक माफिया अशरफ द्वारा मिलाई के समय ही अपने सहयोगियों के साथ मिलकर विभिन्न गवाहो/साक्षियों की हत्या एवं उन्हे डराने/धमकाने आदि की योजना तैयार कर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता था। मृतक माफिया अशरफ के बरेली जेल में निरूद्ध रहने के दौरान उपरोक्त के सम्बन्ध में थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली पर मु0अ0सं0 86/2023 पंजीकृत हुआ था। गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपकर कर दिल्ली में रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त अफसार अहमद उपरोक्त को थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 86/2023 धारा 147/384/506/201/120बी/195ए/34/119 भादवि व 7/8/13 पी0सी0 एक्ट धारा 42बी/54 कारागार अधिनियम व 07 सीएलए एक्ट में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा अमल में लायी जायेगी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त अफसार अहमद उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहासः–</u>

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	206/18	419/420/467/468/471 भादवि	कोखराज	कौशाम्बी
2	86/23	147/384/506/201/120बी/195ए/34/119 भादवि व 7/8/13 पी0सी0 एक्ट धारा 42बी/54 कारागार अधिनियम व 07 सीएलए एक्ट	बिथरी चैनपुर	बरेली

एस0टी0एफ0–अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह की सरगना एवं जनपद बहराईच से रूपये 50,000/– की पुरस्कार घोषित अभियुक्ता गिरफ्तार।

दिनॉकः 10–12–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गैंग की सरगना एवं रूपये 50,000/– की पुरस्कार घोषित अभियुक्ता जनपद लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरणः

1– नसरीन बानों उर्फ बादाम पत्नी मोहम्मद काश अहमद उर्फ मुन्ना उर्फ रईस अहमद, निवासी मोहल्ला खदरा बड़ी पकड़िया थाना मदेयगंज, लखनऊ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांकः–

दिनांक 10–12–2025 स्थान ग्राम फरीदीपुर, थाना क्षेत्र ठाकुरगंज, लखनऊ।

एसटीएफ उ0प्र0 को फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों द्वारा घटनाएँ करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ लखनऊ के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 10–12–2025 को अभिसूचना संकलन के उद्‌देश्य से उपनिरीक्षक श्री अमित कुमार तिवारी, उ0नि0 विद्यासागर, मु0आ0 आलोक पाण्डेय, स्वरूप पाण्डेय, अमित सिंह, जितेन्द्र वर्मा, पवन कुमार, आरक्षी आदित्य पाल चालक नैपाल सिंह की टीम जनपद लखनऊ में भ्रमणशील थी। इस दौरान सूचना मिली कि थाना कोतवाली देहात, जनपद बहराइच में मु0अ0सं0 433/2025 धारा 8/20/22 एनडीपीएस एक्ट में रू0 50,000/– की पुरस्कार घोषित अभियुक्ता नसरीन बानों ग्राम फरीदीपुर, थाना क्षेत्र ठाकुरगंज, लखनऊ में मौजूद है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा स्थानीय थाने से महिला पुलिस को साथ लेकर उक्त स्थान पर पहुॅचकर नसरीन बानों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता ने पूछताॅछ पर बताया कि उसका अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने का एक गिरोह है, जो जनपद लखनऊ एवं जनपद बहराईच के आस–पास के जनपदों में अवैध मादक पदार्थो (ब्राउन सूगर) की तस्करी करता है। यह पिछले 06 वर्षो से यह कार्य कर रही है। मणिपुर राज्य से क्रूड (कच्चा माल)

मंगाकर उससे ब्राउन शुगर तैयार करती है, जिसे गिरोह के सदस्यों के माध्यम से सप्लाई कराती है। इसके गिरोह के एक सदस्य को एसटीएफ टीम द्वारा दिनॉकः 17—10—2025 को 3.440 कि0ग्रा0 अवैध मादक पदार्थ (ब्राउन शुगर) के साथ जनपद बहराईच से गिरफ्तार कर थाना कोतवाली देहात, जनपद बहराइच में मु0अ0सं0 433/2025 धारा 8/20/22 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराते हुए जेल भेजा गया था। इस अभियोग में नसरीन बानों का नाम भी प्रकाष में आया था, जिसके गिरफ्तारी हेतु रू0 50 हजार का पुरस्कार घोषित था।

गिरफ्तार अभियुक्ता को थाना कोतवाली देहात, जनपद बहराइच में पंजीकृत मु0अ0सं0 433/2025 धारा 8/20/22 एनडीपीएस एक्ट में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

जनपद कुशीनगर/थाना कसया

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 10.12.2025 को थाना कसया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त शाह आलम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कसया पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कसया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शाह आलम निवासी अहिरौली दुबौली तकिया टोला थाना गोपालगंज, बिहार।

जनपद चित्रकूट/थाना मऊ

- **07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की घटना का अनावरण**
- **लूट के 01 लाख 39 हजार 500 रूपये नगद**
- **लूटे गये 02 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 10.12.2025 को थाना मऊ व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर महिला पुल के पास से अभियुक्त 1–दादू उर्फ रावेन्द्र कुमार 2–योगेश को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशादेही पर अभियुक्त 3–विनय 4–अजीत 5–बालकृष्ण 6–पुष्पेन्द्र कुमार उर्फ ननकू 7–सूरज उर्फ रसीम को भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 लाख 39 हजार 500 रूपये नगद, लूटे गये 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 07.12.2025 को थाना मऊ क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मऊ पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये आदि उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना मऊ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दादू उर्फ रावेन्द्र कुमार निवासी ग्राम कोपा थाना मऊ जनपद चित्रकूट।

2–योगेश निवासी धवाडा थाना मऊ जनपद चित्रकूट।

3–विनय निवासी ग्राम कोपा थाना मऊ जनपद चित्रकूट।

4–अजीत निवासी ग्राम कोपा थाना मऊ जनपद चित्रकूट।

5–बालकृष्ण निवासी ग्राम अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट।

6–पुष्पेन्द्र कुमार उर्फ ननकू निवासी ग्राम अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट।

7–सूरज उर्फ रसीम निवासी ग्राम अहिरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट।

बरामदगी

1—लूट के 01 लाख 39 हजार 500 रूपये नगद।

2—लूटे गये 02 मोबाइल फोन।

3—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद श्रावस्ती/थाना गिलौला

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **चोरी के सफेद धातु के आभूषण**
- **9400/—रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 09/10.12.2025 की रात्रि थाना गिलौला की पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लक्ष्मणनगर गिलौला लिंक मार्ग पर चेतियामुरार पुलिया के पास से पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 1—रोशनलाल घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—शिवकुमार उर्फ सुखी सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सफेद धातु के आभूषण, 9400/—रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना गिलौला क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गिलौला पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ् तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त रोशनलाल के विरूद्ध जनपद गोण्डा, बहराइच, बलरामपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट आदि के 14 अभियोग, अभियुक्त शिवकुमार उर्फ सुखी के विरूद्ध जनपद बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना गिलौला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रोशनलाल निवासी ग्राम देवानपुरवा थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच।

2—शिवकुमार उर्फ सुखी निवासी खगौरा बनकटी थाना विशेश्वरगंज जनपद बहराइच।

बरामदगी

1—चोरी के सफेद धातु के आभूषण।

2—9400/—रूपये नगद।

3—01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद अलीगढ़/थाना खैर

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट/चोरी की पीली/सफेद धातु के आभूषण**
- **75 हजार 200 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त अर्टिगा कार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 09/10.12.2025 की रात्रि थाना खैर, थाना पिसावा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान सोफा नहर पटरी की तरफ कार सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—अनिल 2—आमिर घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट/चोरी के पीली/सफेद धातु की आभूषण, 75 हजार 200 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त अर्टिगा कार, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि थाना खैर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खैर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की

गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपये चोरी/लूट की घटनाओं से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त अनिल के विरूद्ध जनपद अलीगढ़, बदायूँ, कासगंज, शाहजहॉपुर, अलीगढ़ के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 27 अभियोग, अभियुक्त आमिर के विरूद्ध जनपद बरेली, शाहजहॉपुर, अलीगढ़ के विभिन्न थानों पर लूट, डकैती, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 22 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना खैर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनिल निवासी गढिया पैगम्बरपुर थाना हजरतपुर जनपद बदायूं।

2–आमिर निवासी अंगूरी टांडा थाना सुभाषनगर जनपद बरेली।

बरामदगी

1–लूट/चोरी की पीली/सफेद धातु के आभूषण।

2–75 हजार 200 रूपये नगद।

3–घटना में प्रयुक्त अर्टिगा कार।

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

- **जनपद हमीरपुर/थाना सुमेरपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना सुमेरपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 06 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त स्वामीदीन को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————